छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*शिकायत प्रकरण कमांक 504/2007*</u>

1. **श्री राम अवतार शर्मा,** – *शिकायतकर्ता*
जगदम्बा चौक के पास, प्रतापगंज पारा,
जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – *अनावेदक*
कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 25 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री राम अवतार शर्मा द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर के समक्ष दिनांक 14.02.2007 को जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन पर दिनांक 11.04.2007 को जानकारी प्रदान की गई, किन्तु उक्त जानकारी को भ्रामक एवं अपूर्ण बताते हुए उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.07.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था और बाद में उनके द्वारा विलंब की जिम्मेदारी कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग और उनके लिपिक श्री व्ही0पी0 जोशी की बताई गई तथा इन दोनो को भी पांच हजार रूपये प्रत्येक को शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । कार्यपालन अभियंता ने बताया कि वास्तव में विलंब उनके यहाँ नही हुआ है और जिस लिपिक से अधिक किराया की वसूली होनी थी, वह स्वयं मण्डल कार्यालय के स्थापना शाखा में प्रमुख लिपिक के पद पर कार्यरत है, अत: उसके लिए कार्यपालन अभियंता को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित नही है, उनका यह भी कहना है कि वसूली प्रारंभ हो गई है और शिकायतकर्ता भी अब इस कार्यवाही से संतुष्ट है । प्रकरण में प्रस्तुत उत्तर को देखने से स्पष्ट है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्यपालन अभियंता को विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना उचित नही है, क्योंकि उन्हीं के कार्यालय से विलंब हुआ था, अत: कार्यपालन अभियंता एवं उनके लिपिक के विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त

किया जाता है, किन्तु चूंकि पूर्व में वसूली नही हुई थी, अतः वाउचर दिया जाना संभव नही था, अतः ऐसी स्थिति में अधीक्षण अभियंता को सचेत किया जाता है कि वे भविष्य में आयोग एवं आवेदकों को जानकारी देने में सतर्कता बरती जावे । प्रकरण में भ्रामक एवं पूर्ण जानकारी प्रदाय करने में उनकी कोई दुर्भावना नही थी, अतः उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । अब चूंकि शिकायतकर्ता को वसूली प्रारंभ करके सही जानकारी प्रदाय करा दी गई है, अतः अब इस प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रह जाती है, किन्तु प्रकरण में भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी देने के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग की ओर से शिकायतकर्ता को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त